#### पश्चिम मध्य रेल West Central Railway



पत्र कं. पमरे/का-मुख्या/भर्ती/122/भूमि अधिग्रहण

# महाप्रबंधक कार्यालय/GM's Office कार्मिक शाखा/Personnel Deptt. जबलपुर/Jabalpur.Pin-482001

दिनांक : 14 / 10 / 2016

## नई रेल लाईन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों / आश्रितों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना (लिलतपुर—खजुराहो—पन्ना—सतना तथा रीवा—सीधी—सिंगरौली परियोजना हेतु)

- 1. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्र. दिनांक 17.12.2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित विस्थापितों के आश्रितों को नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें अंतिम तिथि 30.04.2014 थी। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए योग्य उम्मीदवारों को संबंधित मंडलों द्वारा नियुक्ति दी जा चुकी है। उक्त अधिसूचना के तहत् प्राप्त ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें भूस्वामी/आश्रितों द्वारा समय पर आवेदन न करने, अपूर्ण आवेदन करने, आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता पूर्ण न करने, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अधिसूचना के बाद होने के कारण या अन्य किसी कारणों से आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई है उनसे भी पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- 2. रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)II/2010/RC-5/1 दिनांक 28.09.2010 के अनुक्रम में पश्चिम मध्य रेल के इंजीनियरिंग (निर्माण) विभाग द्वारा निम्नलिखित नई रेलवे लाईन परियोजना (निक्षेप कार्यो / Deposit Work को छोडकर) के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.09.2010 के जारी होने के पश्चात हुये निम्न क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से प्रभावितों / आश्रितों के लिये यह अधिसूचना जारी की जा रही है।
  - (1) ललितपुर-खजुराहो-पन्ना-सतना नई बी.जी. लाईन (भोपाल मंडल)
  - (2) रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बी.जी. लाईन (जबलपुर मंडल)
- 3. पश्चिम मध्य रेल की रेलवे परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवार के एक सदस्य जो नीचे दर्शाये गये मानदण्डों को पूर्ण करते हैं, को वेतनमान पी बी —1 रु. 5200—20200 ग्रेड पे 1800 (पूर्व संशोधित वेतनमान) में नियुक्ति के लिये विचार हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक अ, ब, स एवं द सहित) आमंत्रित किये जाते है।
- अावेदक (भूमि का एकमात्र मालिक अथवा उसका पुत्र/पुत्री/पित/पत्नी) ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भूमि अथवा भूमि का एक भाग पिरयोजना के लिये अधिग्रहित किया गया हो। इसके अलावा किसी अन्य संबंधी की नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि भूमि का मालिक एक व्यक्ति से अधिक हो तो सक्षम पदाधिकारी, रेलवे (संशोधित) एक्ट 2008, में यथा पिरभाषित/भूमि अधिग्रहण अधिकारी यह निर्णय लेगा कि आवेदक किसे माना जाये। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार से केवल एक ही आवेदक को नौकरी की पेशकश की जायेगी।
- यह सुनिश्चित किया जावें कि विस्थापित व्यक्ति को उपरोक्त परियोजना के लिये अधिग्रहित की गई उसकी भूमि के बदले में राज्य सरकार से कोई भूमि नहीं मिली हो।
- 4. वे आवेदक जो जमीन की क्षिति के लिये रेलवे में रोजगार के लिये आवेदन दे रहे हैं, वे निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर विरष्ट मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जबलपुर/भोपाल मंडल में (क्षेत्र अनुसार) यह अधिसूचना जारी होने के बाद स्वयं या डाक द्वारा जमा करें। आवेदन जमा करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सभी कॉलम सही तरीके से भरे गये हैं। परियोजनानुसार आवेदन निम्न कार्यालयों में प्रेषित किया जाए। संबंधित कार्यालयों में कार्य दिवसों में रखे बॉक्स में भी आवेदन डाले जा सकते हैं।

क्र	रेल परियोजना का नाम	आवेदन भेजने का पता
1	ललितपुर–खजुराहो–पन्ना–सतना	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
	नई बी.जी. लाईन	(भूमि अधिग्रहण भर्ती अनुभाग)
		मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
		पश्चिम मध्य रेलवे
		हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.), पिन—462024
2	रीवा—सीधी—सिंगरौली नई बी.जी.	वरिष्ट मंडल कार्मिक अधिकारी
	लाईन	(भूमि अधिग्रहण भर्ती अनुभाग)
		मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
		पश्चिम मध्य रेलवे
		सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.), पिन—482001

नोट : आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से लिखें -

_ <del></del>	3
रेल परियोजना का नाम :	
भुस्वामी का नाम :	
ग्राम :	तहसील : जिला :
	प्रति,
प्रेषक / आवेदक,	

- 5. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अनिवार्य रूप से दिए जाये :--
  - (i) नियुक्ति के लिये दावा करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र अपने हस्ताक्षर करके तथा फोटो स्थानीय संसद सदस्य / विधायक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
  - (ii) आवेदक को उपर्युक्त पैरा 3 में नियत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुये सक्षम अधिकारी /भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित एवं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति, जो इसमें दिए गए प्रारुप में हो, भी प्रस्तुत करना होगा। भूमि के संयुक्त स्वामित्व की दशा में प्रत्येक भूस्वामी का अलग–2 शपथपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करना होगा।
  - (iii) आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र, जाति के सत्यापन हेतु प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।
  - (iv) आवेदन का खंड 2 का अनुलग्नक "स" एवं "द" पूर्ण भरा हुआ एवं भू— अधिग्रहण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
  - (v) आवेदन पत्र के साथ अर्जित भूमि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि का खसरा B I एवं P II, भूमि का एवार्ड पत्रक की पूर्ण लिस्ट धारा—11(1) के अंतर्गत् भू—अर्जन अधिकारी द्वारा जारी सूची, ऋण पुस्तिका की प्रति, भू—अर्जन अधिकारी द्वारा जारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, भू—अर्जन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की मूल प्रति, प्राप्त मुआवजा राशि की ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए।

- (vi) यदि आपके प्रकरण में रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि संयुक्त नामों से है तो प्रत्येक भूस्वामी से आपके पक्ष में अलग—अलग अनापत्ति नोटरी से सत्यापित फोटोयुक्त शपथ पत्र के रूप में नॉन—ज्यूडिशियल रु. 100/— के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (खंड 1, अनुलग्नक 'अ' के प्रारुप में)
- (vii) आवेदक, भूस्वामी एवं सहखातेदारों के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति प्रति, यदि भूमि पिता / माता के नाम पर हैं तो सभी भाई—बहनों की फोटो एवं आईडीयुक्त एनओसी संलग्न होनी चाहिए।
- (viii) विस्थापित परिवार में से केवल एक ही आवेदक को नौकरी दी जाएगी। यदि एक ही खसरा नं. पर एक ही परिवार से दो आवेदन प्राप्त होते हैं या पूर्व में नियुक्ति प्राप्त होना संज्ञान में आता है तो बिना किसी सूचना दिए आपका आवेदन निरस्त कर दिया जागा।
- (ix) नियुक्ति संरक्षा कोटियों में ही की जाएगी। दिए गए पद / विभाग को स्वीकार करना होगा व बदला नहीं किया जाएगा।
- (x) आयु:— रेल मंत्रालय के विद्यमान मानदंडों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम् आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम् आयु सीमा 32 वर्ष है। अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिये 05 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 03 वर्ष की छूट लागू होगी । उम्र का निर्धारण 01.01.2017 से किया जायेगा।
- (xi) शैक्षणिक योग्यता :- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था / बोर्ड से 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 वीं या आई.टी.आई. या समकक्ष या एनसीव्हीटी द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र (एनएसी) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हताओं में विशेष परिस्थितियों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है।
  - आवेदक को खुले बाजार से सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पात्रता, चिकित्सा परीक्षण एवं अन्य शर्तो को पूर्ण करना चाहिए।
- 6. आवेदन पत्रों के जमा करने के बाद इंजीनियरिंग (निर्माण) विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेजों की छटनी की जाएगी व अन्य अर्हताओं की जॉच कर आगे की प्रक्रिया के बारे में योग्य आवेदकों को सूचित किया जायेगा।
- 7. पद का निर्धारण एवं पदस्थापना स्टेशन का निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार निर्णित किया जायेगा। आवेदकों को नियुक्ति मूलतः संरक्षा श्रेणी के पद पर दी जावेगी।
- 8. वे उम्मीदवार / भूस्वामी पुनः आवेदन न करें जिनके आश्रितों को पूर्व में नियुक्ति दी जा चुकी है। पूर्व में घोषित मेडिकल अनफिट उम्मीदवार भी पुनः आवेदन न करें।
- 9. यह अधिसूचना रेलवे बोर्ड के पत्र E(NG)II/2010/RC-5/1 दिनांक 28.09.2010 के अनुसार उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें रेलवे द्वारा भूमि का कब्जा लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 28.09.2010 के पूर्व पूरी कर ली गई है।
- 10. एक बार नियुक्ति की पेशकश कर दिये जाने पर, भूमि के उसी भू—भाग के अधिग्रहण के आधार पर नियुक्ति के लिये कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 11. यह नीति रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी नीति पत्रों के बदलाव के अध्याधीन रहेगी ।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

#### पश्चिम मध्य रेलवे अधिसूचना दिनांक 14.10.2016 में उल्लेखित रेलवे लाईन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमिहीनों को पी.बी.—1, 5200—20200, ग्रेड पे—1800 /— में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी में)																					
(हिन्दी में)																					7
2. अधिग्रहित भूमि का विवरण		भूस्वामी का नाम		खसरा नं.		ř.	ग्राग	ग्राम तहसी		गील	ल जिल				5	पासपोर्ट आकार (4 से.मी. 5 से.मी. का फोटोग्राफ चिपकायें (तीन महीने के					
3. समुदाय (कृपया √ करें)		3	अना			3	अपिव		अप	ना	अज	जा		दिव्यांग		अंदर का) विधायक / सांसद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित)					
4. पिता का नाम																					
5. जन्म तिथि	तिथि					माह					वर्ष										
6. आयु 01.01.17	वर्ष					माह					दिन										
7. पहचान चिन्ह	1.										<u> </u>	2			<u> </u>						
<ol> <li>भुस्वामी से संबंध</li> <li>(कृपया √ करें)</li> </ol>		<del>,</del>	चयं				पति				पत्नी	-			पुर	त्र			पुत्री		
9. शैक्षणिक योग्यताएं—					. \ .	.0					, ,										
योग्यता		विश्व	गवद्या	लय /	'बाड	/ विद	यालय	। उ	स्ताण	करन	ने का वर्ष			Ţ	षय				अर्जित	अक	
१०. पत्राचार का पता	मोब	ग.नं								इमे	ल आईर्ड	यदि	कोई		राज्य			पिन			
11. लिंग (कृपया √ क 13. आवेदक का आधार			ঞা	महित् धार नं			पुरूष	ब	12	. वैवा	हिक स्थि	ति (कृ	ृपया	√ क	₹)		विवार्ग	हेत	अ	विवाहित	
14. धर्मः हिन्द्	5	मु	रिलम		ई	साई		सिव	ख		बौध	7	जैन		पारस	ी	अ	न्य	(कृ	पया √	करें)
15. अनुलग्नकों की सूच									1				_							_	
समुदाय प्रमाणपत्र (अपि			अजज	Π)							ये प्रमाणप	-				-				<u> </u>	
शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र अधिग्रहित भूमि का अवार्ड पत्रक							٠,		ग्रहण आ भूमि के							ारी प्रम	ाणपत्र				
आवेदक द्वारा घोषणा - (i) मैं यह समइ (ii) रेल मंत्रालय	व्रता / र																				हीं है।
आवेदक के बायें उ	ांगूठे व	ग स्पष	ष्ट नि	शान														आवेदव	o के स्प	ाष्ट हस्त	गक्षर

स्थान एवं दिनांक:-

एकल/संयुक्त भूस्वामी होने की स्थिति में प्रत्येक भूस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में अलग—अलग दिए जाने वाले अनापत्ति शपथ पत्र का प्रारुप 100/— रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जाये

शपथकर्ता का नोटरी द्वारा सत्यापित फोटो

समक्ष – नोटरी

	अनापत्ति पत्र/शपथ पत्र
करने :	वास्ते मंडल रेल प्रबंधक, जबलपुर/भोपाल के समक्ष भूमि अधिग्रहण के एवज में रेल सेवा में नियुक्ति हेतु प्रस्तुत
4781	
	मैं आत्मज श्री आयु
	निवासी
निम्नि	निखित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ कि :
1.	यह कि मैं ग्राम में स्थित जमीन या जमीन खंड जिसक खसरा नंबर
	कुल रकवा का संयुक्त भूस्वामी
	हूं। मेरे अतिरिक्त उक्त भूमि के अन्य भूस्वामी हैं, जिनके नाम सर्वश्री (1)(1)
	(3)
	है।
2.	यह कि उपरोक्त भूमि/भूमि का हिस्सा रीवा—सीधी नई ब्राडगेज लाईन हेतु रेलवे द्वारा अधिग्रहित किया गया
	<b>                                      </b>
3.	यह कि उपरोक्त भूमि के बदले रेल सेवा में नियुक्ति हेतु श्री
	द्वारा आवेदन किया गया है जो कि हम भूस्वामियों में से श्री के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी हैं।
4	यह कि उपरोक्त आवेदक को रेल सेवा में नियुक्ति दिए जाने में मुझे एवं मेरे वारसानों को कोई आपत्ति नहीं
٦.	है।
5.	यह कि एक ही खसरा नं. पर एक ही परिवार से दो आवेदन प्राप्त होते हैं तो बिना किसी सूचना दिए मेरे
	उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए।
6.	यह कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमात्र पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं
	तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए।
	यह कि कोई भी तथ्य / जानकारी मेरे द्वारा छिपाई अथवा गलत प्रस्तुत नहीं की गई है।
8.	
	आश्रित (जिसे रेल सेवा में नियुक्त किया जना है) को रेल सेवा से हटा दिया जाएगा।
	शपथकर्ता / भूस्वामी
	सत्यापन
	मैंआत्मज आत्मज आयु
	निवासी
मेरे संप	गण ज्ञान से सही एवं सत्य है।
	आज दिनांक को मेरे द्वारा स्थान में हस्ताक्षरित एवं सत्यापित
किया र	•
	शपथकर्ता / भस्वामी

### भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्ति की जानकारी

2. 3.	भूस्वा भूस्वा	मी का नाम मी का आधार नंबर मी का मोबाइल नं सीय पता	 बर						
6. 7.	कुल '	अधिग्रहित भूमि भूमि में से अधिग्रहिः ारिक विवरण	  त भूमि का प्रति	तेशत					
	क.	परिवार के सदस्यों	भूरवामी से	जन्मतिथि	शैक्षणि		सेवारत /	सेवा का	]
		का नाम	संबंध		योग्यत	ा स्थिति	व्यवसाय	स्थान	
	1								_
	3								-
10. 11. 12. 13. 14.	आवेद आवेद भूमिर्ह जन्मी निर्धा शैक्षणि	क उम्मीदवार का न क उम्मीदवार का इ क उम्मीदवार का इ ोन व्यक्ति से संबंध तेथि रेत आयु सीमा से व ोक योग्यता	आधार नं. एवं व इमेल आईडी	मो. नं.					
	मैं एत	द् द्वारा यह घोषणा क	रता हूँ कि इस	<b>घोष</b> आवेदन में		नी विवरण मेरे	विश्वास एवं	जानकारी	में पूर्ण एवं
सही हैं	। अगर	किसी भी स्तर पर व	गेई भी जानकारी	गलत या	असत्य ।	पायी जाती है	या योग्यता वि	नेर्धारण में	मैं अयोग्य
पाया ज	ाता हूँ	तो मेरी उम्मीदवारी/1	नेयुक्ति से मुझे	सूचना दिए	बगैर नि	रस्त / समाप्त व	कर दी जाएग	ी ।	
			बाएं हाथ के उ	ांगूठे का नि	शान				
स्थान	:								
दिनांक	:								
						आवेदक	का हस्ताक्षर	•	

#### खंड – 2

#### खण्ड ।। को भरकर भू अर्जन अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाए

1.	भूमि का विवरणः								
	(क) सर्वेक्षण संस	<u> ख्याः–</u>							
	(ख) खसरा संख	या:							
	(ग) कुल रकबा	:							
	(घ) अधिग्रहित <sup>्</sup>	रकबा का क्षेत्रफल:							
2.	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की कुल राशि								
3.	व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का भ्	गुतान किया गया							
4.	क्या भूमि आवेदक के नाम	पर है?							
	यदि नहीं तो किसके नाम	पर है?							
5.	कुल भूमि से प्राप्त अनुमानि	त राजस्व							
6.	अधिग्रहित भूमि से (प्रति वर्ष	र्ग) आय में हानि							
7.	जिसके नाम पर भूमि है उर	प परिवार के मुखिया के परिवा	रिक सदस्यों का विवरण						
	नाम	उम्र / जन्म तिथि	सम्बन्ध	टिप्पणी					
8.	परिवार के आय के अन्य स	त्रोत							
9.	क्या भू अधिग्रहण कलेक्टर	द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रतिर्व	लेपि संलग्न है?						
			भ अर्जन	अधिकारी का					
स्था				आवकारा का सील / मोहर सहित					
दिन	ांक :								

पत्रांक :
भू—अर्जन अधिकारी का प्रमाणपत्र
यह प्रमाणित किया जाता है कि भूमि जिसका खसरा संख्यारकवाररुवा
ग्राामतहसीलतहसील
जिला है, को ऊपर वर्णित रेल परियोजना हेतु अधिग्रहित किया गया है। इसक
विवरण भू अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत् जारी अवार्ड पत्रक में क्रमांक मे

.....जो जमीन के एकमात्र मालिक के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में संबंधित हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विस्थापित व्यक्ति ने परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि के एवज में

दर्ज है। आवेदक इस जमीन का एकमात्र मालिक है, या श्री/श्रीमती ......

राज्य सरकार से कोई भूमि प्राप्त नहीं की है।

स्थान : दिनांक : भू अर्जन अधिकारी का हस्ताक्षर सील / मोहर सहित

# भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु	पुत्र / पुत्री	
	ग्राम प्रदेश जिला / मंडल प्रदेश प्रदेश	के निवासी	ह <del>ैं</del>
	समुदाय से संबंधित हैं जिसे पिछड़ी जाति के रूप में निम्नर्लि	खेत अनुसार मा	न्यता प्राप्त है.
1.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 186 दिनांक 13 सितंबर, 199	3 को प्रकाशित	संकल्प सं.
	12011 / 68 / 93—बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितंबर, 1983.		
2.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 163 दिनांक 20 अक्टूबर 199	४ में प्रकाशित र	नंकल्प सं.
	12011 / 9 / 94—बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.		
3.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 88 दिनांक 25 मई, 1995 में	प्रकाशित संकल्प	। सं.
	12011 / 7 / 95—बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995.		
4.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं. 210 दिनांक 11 दिसंबर	. 1996 में प्रक	ाशित संकलप
	सं.12011 / 44 / 96—बीसीसी, दिनांक ६ दिसम्बर,, 1996.		
5.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1 खंड—1 सं. 129 दिनांक 8 जुलाई	. 1997 में प्रव	गशित संकल्प
	सं.12011 / 68 / 93—बीसीसी.		
6.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं. 164 दिनांक 01 सितम्बर	r, 1997 में प्रव	गशित संकल्प
	सं.12011 / 12 / 96—बीसीसी		
7.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं. 236 दिनांक 11 दिसंबर, 199	7 में प्रकाशित र	नंकल्प सं.
	12011 / 99 / 94—बीसीसी.		
8.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 239 दिनांक 03 दिसंबर, 199	7 में प्रकाशित र	नंकल्प सं.
	12011 / 13 / 97—बीसीसी.		
9.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1 खंड—1 सं. 166 दिनांक 03 अगस्त	, 1998 में प्रव	गशित संकल्प
	सं.12011 / 12 / 96—बीसीसी.	<b>.</b>	
10.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 171 दिनांक 06 अगस्त	, 1998 में प्रव	गशित संकल्प
	सं.12011 / 68 / 93—बीसीसी.	<b>.</b>	
11.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग—1 खंड—1 सं. 241 दिनांक 27 अक्टुबर	r, 1999 में प्रव	गशित सकल्प
	सं.12011 / 68 / 98—बीसीसी.	\.	
12.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं. 270 दिनांक 06 दिसंबर, 199	मे प्रकाशित स	नंकल्प सं.
	12011 / 88 / 98—बीसीसी.	\.	
13.	भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं. 71 दिनांक 04 अप्रैल,	2000 में प्रक	गशित सकल्प
	सं. 12011 / 36 / 99—बीसीसी.		
श्री	/श्रीमती / कु और उसका परिवार साधारणतः	राज्य :	के
	,	कार्मिक और प्र	प्रशिक्षण विभाग
	दिनांक 8/9/1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93–स्था. (एससीटी) की अनु		
	क्तियाँ / वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं है.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
दिन	नांकमुहर नांक	जिलाधीश / उप	ायक्त आदि
_	ਰ		.3
	रेप्पणी : यहाँ प्रयुक्त '' साधारणतः निवासी'' का अर्थ वही है जो जनप्रतिनिधित्व	अधिनियम, 1950	0 की धारा 30
			में वर्णित है ।

अजा / अजजा उम्मीदवारों हेतु जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती' / कुमारी' ....... पुत्र' / पुत्री' श्री ....... निवासी ग्राम / कस्बा' ....... जिला / संभाग ...... राज्य / संघ' ...... अनुसूचित

जाति / जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है. (1) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (3) संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 (4) संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 अनुसूचित जाति (पंच अनुसूचित जनजाति सूची (पिरशोधन) आदेश 1956, मुम्बई रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचाल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गेनाईजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित (5), संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956 (6) संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (7) 'संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962 (8) संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964 (10) 'संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967, (11) संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 (12) संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970, (13) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.

2. उन अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन-पत्र जो एक राज्य / संघ शासित प्रदेशों से अन्यत्र विस्थापित हुए हैं.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित यह प्रमाण–पत्र श्री / श्रीमती / कु, जो कि
श्री/श्रीमती/कुजे पिता/माता हैं, गॉव/कस्बाजेला/संभाग
राज्य / संघंशासित प्रदेश ' के हैं और जाति / जनजाति ' से संबंधित हैं जिसे
राज्य संघशासित प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं.
जारीकर्ता (निर्धारित अथारिटी का नाम) द्वारा पत्र सं0 दिनांक
के तहत.
3. श्री / श्रीमती / कु गॉव / कस्बे.
राज्य में निवास करता है.
स्थानहस्ताक्षर पदनाम (कार्यालय

मुहर) (\*) जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें. कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें (\*), उस पैराग्राफ को काट दें जो लागू न हो.

टिप्पणी : ''साधारणतः निवासी'' का अर्थ यहाँ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 30 में उल्लिखित है ।

सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों की सूची

- 1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम वर्ग स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/एसडीएम/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम न हो) ।
- 2. (i) मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (ii) अतिरिक्त मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट(iii) प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (iv) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पर से कम न हो (v) एसडीओ (अभ्यार्थी या अभ्यार्थी के परिवार से सम्बंधित क्षेत्रा स्थित) (vi) प्रशासक / प्रशासक के सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप टापू)